

अग्रिमि जमानत

प्रलमिस के लयि:

अपराधों के प्रकार, जमानत देने की शक्ति, CrPC, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

मेन्स के लयि:

वविकहीन गरिफ्तारी का समाज पर प्रभाव, संवैधानिक संरक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक वधायक को उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व-गरिफ्तारी जमानत या अग्रिमि जमानत दी गई है, जसिे राज्य लोकायुक्त ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

जमानत और इसके प्रकार:

- **परभाषा:** जमानत कानूनी हरिसत में रखे गए व्यक्तिको, जब भी आवश्यक हो न्यायालय में उपस्थति होने के वादे के साथ, सशर्त/अनंतमि रहिाई है (ऐसे मामलों जनिमें न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाना बाकी है)। यह न्यायालय में सकियूरटि/कोलैटरल जमा करने की आवश्यकता को दर्शाता है।
 - कानूनी मामलों के अधीकषक और रमिंबरेंसर बनाम अमयि कुमार रॉय चौधरी (1973) मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जमानत देने के सदिधांत की व्याख्या की है।
- **भारत में जमानत के प्रकार:**
 - **नयिमति जमानत:** यह न्यायालय (देश के भीतर कसिी भी न्यायालय) द्वारा दिया गया एक नरिदेश है जो पहले से ही गरिफ्तार और पुलसि हरिसत में रखे गए व्यक्तिको रहिा करने हेतु उपलब्ध है। ऐसी जमानत के लयि व्यक्तिको CrPC की धारा 437 तथा 439 के तहत आवेदन दाखलि कर सकता है।
 - **अंतरमि जमानत:** न्यायालय द्वारा अस्थायी और अल्प अवधि हेतु जमानत दी जाती है, यह जमानत तब तक दी जा सकती है जब तक कि नयिमति या अग्रमि जमानत हेतु आवेदन न्यायालय के समकष लंबति नहीं होता है।
 - **अग्रमि जमानत या पूर्व-गरिफ्तारी जमानत:** यह एक कानूनी प्रावधान है जो आरोपी व्यक्तिको गरिफ्तार होने से पहले जमानत हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है। भारत में पूर्व-गरिफ्तारी जमानत का प्रावधान दंड प्रक्रयिा संहति, 1973 की धारा 438 में कयिा गया है। इसे केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है।
 - अग्रमि जमानत का प्रावधान वविकाधीन है तथा न्यायालय अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त एवं अन्य प्रासंगिक कारकों पर वचिार करने के बाद जमानत दे सकती है। न्यायालय जमानत देते समय कुछ शर्तें भी लगा सकता है, जसिमें पासपोर्ट ज़ब्त करना, देश छोड़ने पर प्रतबिंध या पुलसि स्टेशन में नयिमति रूप से रपिरट करना आदि शामिल हैं।

अग्रमि जमानत की न्यायकि व्याख्या:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने माना है कि अग्रमि जमानत देने की शक्ति केवल असाधारण मामलों में प्रयोग की जाने वाली एक असाधारण शक्ति है।
- **गुरबख्श सहि सबिबयिा बनाम पंजाब राज्य (1980) का मामला:** सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि धारा 438 (1) की व्याख्या संवधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तगित स्वतंत्रता की सुरक्षा) के आलोक में की जानी चाहयिे।
 - कसिी व्यक्तिके अधिकार के रूप में अग्रमि जमानत हेतु समय-सीमा नहीं होती है।
 - न्यायालय मामलों के आधार पर उचति प्रतबिंध लगा सकता है।
- **सलाउद्दीन अब्दुलसमद शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य (1995) मामला:** सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के नरिणय को खारज़ि कर दिया और कहा कि "अग्रमि जमानत की एक समय-सीमा होनी चाहयिे।"
- **एस.एस. म्हातरे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2010) मामला:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "अग्रमि जमानत देने वाले आदेश

की अवधि को कम नहीं किया जा सकता है।"

- सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) (2020): न्यायालय ने माना कि अग्रिम जमानत एक 'सामान्य नियम' के रूप में एक नश्वर अवधि तक सीमित नहीं होगी।

भारत में अग्रिम जमानत देने की शर्तें:

- अग्रिम जमानत की मांग करने वाले व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिये कि उसे गैर-जमानती अपराध के लिये गरिफ्तार किया जा सकता है।
- न्यायालय मौद्रिक बंधन भी लागू कर सकता है, जिसे अग्रिम जमानत मांगने वाले व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने में वफिल होने अथवा नरिदेशित शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में भुगतान करना होगा।
- अग्रिम जमानत की मांग करने वाले व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर जाँच अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिये उपलब्ध रहना होगा।
- अदालत सीमित अवधि के लिये अग्रिम जमानत दे सकती है और इस अवधि के समाप्त होने पर उक्त व्यक्ति को आत्मसमर्पण करना होगा।
- यहाँ ध्यान देना आवश्यक है कि अग्रिम जमानत देना न्यायालय के वविक पर नरिभर है और यह पूर्ण अधिकार नहीं है। न्यायालय यह तय करने से पहले कि अग्रिम जमानत दी जाए अथवा नहीं, वभिन्न कारकों जैसे कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता, अग्रिम जमानत मांगने वाले व्यक्ति के पूर्ववृत्त, व्यक्ति के फरार होने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना पर वचार करेगा।

अग्रिम जमानत रद्द करने के आधार:

- CrPC की धारा 437(5) और 439 अग्रिम जमानत रद्द करने से संबंधित हैं। इनका तात्पर्य यह है कि जिस न्यायालय के पास अग्रिम जमानत देने की शक्ति है, उसे तथ्यों पर उचित वचार कर जमानत को रद्द करने अथवा जमानत से संबंधित आदेश को वापस लेने का भी अधिकार है।
- उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय यह नरिदेश दे सकता है कि कोई भी व्यक्ति जिस उसके द्वारा जमानत पर रखा किया गया है, गरिफ्तार किया जाए और शकियतकर्त्ता या अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदन दायर करने के बाद हरिसत में लाया जाए। हालाँकि न्यायालय के पास पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की शक्ति नहीं है।
- वर्षों से अग्रिम जमानत ने एक ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा (सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दी गई सुरक्षा) के रूप में कार्य किया है, जिसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हों। यह ऐसे झूठे आरोपी व्यक्ति की गरिफ्तारी से पहले ही रखाई सुनिश्चित करता है।

नषिकर्ष:

- गरिफ्तारी से पहले जमानत एक महत्त्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है जो भारत में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
- यह प्रावधान आरोपी व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध के लिये गरिफ्तार होने से पहले जमानत हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है। न्यायालय अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी की पृष्ठभूमि तथा अन्य प्रासंगिक कारकों पर वचार करने के बाद जमानत दे सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने के लिये दशा-नरिदेश नरिधारित किये हैं, जिसके लिये न्यायालय को जमानत देते समय वभिन्न कारकों पर वचार करने की आवश्यकता होती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस